न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

(मुरारी लाल शर्मा,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 05/2016
प्रविष्टि दिनांक 30.11.2016

सरकार जरिए तहसीलदार देवली

–प्रार्थी

बनाम

1–गोकुल पुत्र चन्द्रा जाति बैरवा निवासी सीतारामपुरा ग्राम पंचायत गांवडी तहसील देवली (मृतक)
1/1–जगराम पुत्र गोकुल जाति बैरवा निवासी सीतारामपुरा तहसील देवली जिला टोंक
1/2–बाबूलाल पुत्र गोकुल जाति बैरवा निवासी सीतारामपुरा तहसील देवली जिला टोंक
1/3 मीरा पुत्री गोकुल जाति बैरवा निवासी सीतारामपुरा तहसील देवली जिला टोंक
1/4 गोपिया पुत्री गोकुल जाति बैरवा निवासी सीतारामपुरा तहसील देवली जिला टोंक
1/5 फूंला पुत्री गोकुल जाति बैरवा निवासी सीतारामपुरा तहसील देवली जिला टोंक
1/6 नोली देवी पत्नि गोकुल जाति बैरवा निवासी सीतारामपुरा तहसील देवली जिला टोंक
2–रामलाल पुत्र चन्द्रा जाति बैरवा निवासी सीतारामपुरा तहसील देवली जिला टोंक
3–मोत्या पुत्री चन्द्रा जाति बैरवा निवासी सीतारामपुरा तहसील देवली जिला टोंक
4–रामी देवी पत्नि रामकरण जाति बैरवा निवासी सीतारामपुरा तहसील देवली जिला टोंक
5–रामेश्वर पुत्र सूरजमल जाति बैरवा निवासी सीतारामपुरा तहसील देवली जिला टोंक
6–शान्ति पुत्री सूरजमल जाति बैरवा निवासी सीतारामपुरा तहसील देवली जिला टोंक
7–भूला देवी पत्नि सूरजमल जाति बैरवा निवासी सीतारामपुरा तहसील देवली जिला टोंक

–प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :– (1) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री सीताराम विजय, अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 08.04.2022

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार देवली द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत किया है। आवेदन का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि साबिक जमाबन्दी सं. 2036 से 2039 के खाता संख्या 61 में किता [illegible] 25 बीघा 19 बिस्वा चन्द्रा पुत्र सुखा कोम चमार सा. ढाणी सीतारामपुरा की खातेदारी में दर्ज [illegible] जो नामान्तकरण संख्या 543 दिनांक 27.06.1983 के द्वारा ग्राम सभा [illegible] ग्राम सीतारामपुरा के नाम दर्ज है। हाल जमाबन्दी ग्राम सीतारामपुरा सं. 2070 से 2073 [illegible] में खसरा [illegible] 266/0.83, 280/[illegible] 160/0.19, 185/1.90, 190/0.41, 206/0.48, 212/[illegible], कुल किता 12 रकबा 6.74 हे0 281/0.52,282/0.71,283/0.58,284/0.24 व 289/0.27

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari LaL Sharma
Date: 2022.05.16 16:44:50 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

राजस्थान भूदान बोर्ड ग्रामदानी ग्राम सभा सीतारामपुरा की खातेदारी मे दर्ज है।. तत्कालीन तहसीलदार श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर द्वारा ग्राम सीतारामपुरा के खसरा नम्बर 160/0.19, 185/1.90, 190/0.41, 206/0.48, 212/0.58, 266/0.83, 280/0.03, 281/0.52,282/0.71,283/0.58,284/0.24 व 289/0.27 कुल किता 12 रकबा 6.74 है0 पर राजस्व विभाग राज0सरकार शासन सचिव श्री प्रीतमसिंह के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक प–2(12)राज–6/92पार्ट दिनांक 07.06.2008 के एंव श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय टोंक के पत्रांक/परिपत्र/08/5565–71 दिनांक 18.12.2008 के आधार पर कब्जेधारी गोकल,रामलाल पुत्र चन्द्रा,मोत्या पुत्री चन्द्रा हि0 3/5 रामीदेवी पत्नि रामकरण हि0 1/5 रामेश्वर पुत्र शान्ति पुत्री व मु0 भूलादेवी पत्नि सूरजमल हि0 1/5 जाति बैरवा निवासी सीतारामपुरा को खातेदारी आदेश क्रमांक 5368–69/भू.अ./2015 दिनांक 15.10.2015 से दिये जाकर पटवारी हल्का गांवडी को पालनार्थ प्रेषित किया।.राजस्थान भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 (1954 का अधिनियम संख्या 16) के संशोधन द्वारा धारा 24 दिनांक 13 मई 2008 से प्रतिस्थापित की गई। जिसके तहत दिनांक 13 मई 2008 की तारीख या अनुदान की तारीख जो भी बाद में हो भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी और ऐसी भूमि का प्राप्त कर्ता दिनांक 13 मई 2008 को खातेदार अभिधारी बन जायेगाा तथा भूदान की भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान लागू होंगे। इसी क्रम में राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.क्र:–2 (12)राज–6/92/पार्ट/1 जयपुर दिनांक 15.03.2010 द्वारा भूदान होल्डर्स को राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज करने बाबत निर्देशित किया गया है। जिसके बिन्दू संख्या 1 में सदभावी भूदान आवंटियों को विधिवत रू॰ से आवंटन किया गया हो और जिसका आद्यतन अंकन राजस्व रिकॉर्ड में हो, को खातेदार दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि दिनांक 27.06.1983 से ग्रामसभा ग्रामदानी ग्राम सीतारामपुरा के नाम अंकित चली आ रही है। राजस्थान भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 24 के प्रावधान केवल मात्र सद्भावी भूदान आवंटियों को जिनको विधिवत रूप से आवंटन किया गया हो, और जिसका अद्यतन अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो, पर ही लागू होगें। प्रस्तुत प्रकरण में भूमि ग्रामदान अधिनियम 1971 के अन्तर्गत आती है इस कारण इस भूमि पर भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 24 में दिनांक 13.05.2008 के संशोधित प्रावधान लागू नहीं हो सकते हैं। इस कारण उक्त आदेश का राजस्व रिकार्ड अमल–दरामद नहीं किया गया है। इस प्रकार तत्कालीन तहसीलदार देवली श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर द्वारा जारी आदेश क्रमांक 5368–69/भू.अ./2015 दिनांक 15.10.2015 नियमों के विपरित है। खातेदारी दी गई भूमि ग्रामदान अधिनियम 1971 के अन्तर्गत आती है। इस भूमि पर भू–दान अधिनियम 1954 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। तहसीलदार द्वारा नियमों के विपरित जाकर खातेदारी अधिकार दिये है। इस कारण तत्कालीन तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने हेतु यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.16 16:44:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया [illegible] तलबी जरिए नोटिस विपक्षी की गई। अप्रार्थी सं0 2 ता 7 जरिये [illegible] की मृत्यु होने पर वारिसान के कायम मुकाम पक्षकार बनाया गया तथा वा[illegible] भी जरिये अधिवक्ता उपस्थित।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाब पेश किया कि वादग्रस्त भूमि ग्रामसभा ग्राम दानी ग्राम सीतारामपुरा के नाम किस आदेश से अप्रार्थीगण की खातेदारी से कम होकर दर्ज हुई है यह

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

ष्ट नहीं है। ग्राम सभा ग्राम दानी ग्राम सीतारामपुरा के नाम दर्ज होना स्वीकार है,लेकिन उक्त इन्द्राज किस आधार पर हुआ,उसके संबंध मे कोई निर्णय या आदेश प्रस्तुत नही किया गया है।यदि भविष्य मे ऐसा कोई निर्णय या आदेश पेश किया जाता है तो उसके लिए पृथक से जवाब देने के लिए अप्रार्थीगण स्वतंत्र है। तहसीलदार को किसी भी खातेदार की भूमि किसी अन्य की खातेदारी मे दर्ज करने का अधिकार नही है। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण की कदीम से उनके पूर्वजो के समय से खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है,जिसे ग्राम सभा ग्राम दानी ग्राम सीतारामपुरा के नाम गलत इन्द्राज हो गया है,जिसे दुरूस्ती हेतु तहसीलदार देवली ने सही आदेश पारित किया है। मौजूदा तहसीलदार को उक्त आदेश को चैलेंज करने का अधिकार नही है। प्रार्थना पत्र काफी विलम्ब से पेश किया गया है जो मियाद बाहर होने से निरस्तनीय है। प्रार्थी ने जिस आदेश /निर्णय के तहत वादग्रस्त भूमि ग्राम सभा दानी ग्राम सीतारामपुरा के नाम नामान्तकरण से दर्ज हुई है प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नही किया है।

गत भू–प्रबंध के पूर्व वादग्रस्त भूमि ग्राम गावंडी मे स्थित थी तथा ग्राम गावंडी तहसील देवली मे उक्त भूमि अप्रार्थीगण के पूर्वज चन्द्रा पुत्र सुखा चमार साकिन ढाणी सीतारामपुरा की खातेदारी मे कदीम से थी। जिसका इन्द्राज भू–प्रबंध की जमाबंदी सम्वंत 2015–2029 वाके ग्राम गावंडी तहसील देवली व जमाबंदी सम्वंत 2028–2031 वाके ग्राम गांवडी तहसील देवली मे दर्ज है। इस प्रकार उक्त भूमि अप्रार्थीगण के पूर्वज चन्द्रा पुत्र सुखा की खातेदारी व कब्जेकाश्त की कदीम से चली आ रही थी, जिसे अप्रार्थीगण की खातेदारी से ग्राम दानी ग्राम सीतारामपुरा की खातेदारी मे गलत इन्द्राज किया है, जिसको बाद जांच तहसीलदार देवली ने सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन कर तथा अप्रार्थीगण का कब्जाकाश्त होने से अप्रार्थीगण को खातेदार काश्तकार होना मानकर राजस्व रिकार्ड मे अप्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज किये जाने का तत्कालीन तहसीलदार ने सही आदेश पारित किया है। मौजूदा तहसीलदार ने सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन न कर यह आवेदन अप्रार्थीगण को जेरबार व परेशान करने की बध्यान्ति से तथा सम्पूर्ण रिकार्ड पेश न कर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सव्यय खारिज किए जाने योग्य है। ग्राम सीतारामपुरा तहसील देवली के अनुसार हाल खसरा नम्बर क्रमशः 160,185,190,206,212,266,280,281,282,283,284,289 है।नामान्तकरण संख्या 543 दिनांक 27.06.1983 वाके ग्राम गांवडी क्रमांक/भू.अ./82/760 दिनांक 16.03.1982 के तहत खोला गया है जो अपने आप मे अस्पष्ट है। इस कारण दिनांक 16.03.1982 का आदेश/निर्णय तहसीलदार देवली से तलब किया जाना आवश्यक है। अतः तहसीलदार देवली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जावे एवं बहस उभयपक्ष सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एंव निवेदन किया कि साबिक जमाबंदी सं0 2036 से 2039 के खाता संख्या 61 किता 8 रकबा 25 बीघा 19 बिस्वा चन्द्रा पुत्र सुखा कोम चमार सा. ढाणी सीतारामपुरा की खातेदारी मे दर्ज था,जो नामान्तकरण संख्या 543 दिनांक 27.06.1983 के द्वारा ग्राम सभा ग्रामदानी ग्राम सीतारामपुरा के नाम दर्ज है। हाल जमाबंदी ग्राम सीतारामपुरा [illegible] 2070 से 2073 के खाता संख्या 105 मे खसरा नम्बर 160/0.19,185/1.90,190/0.41,206/0.48,212/0.58,266/0.83,280/0.03,281/0.52,282/0.71,283/0.58,284/0.24 व 289/0.27 कुल किता 12 रकबा 6.74 है0 राजस्थान भूदान बोर्ड ग्रामदानी ग्राम सभा सीतारामपुरा की खातेदारी मे दर्ज है। तत्कालीन तहसीलदार श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर द्वारा ग्राम सीतारामपुरा के खसरा नम्बर 160/0.19,185/1.90,190/0.41, 206/0.48, 212/0.58, 266/0.83, 280/0.03, 281/0.52,282/0.71,283/0.58,284/0.24 व 289/0.27 कुल किता 12 रकबा 6.74 है0 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.16 16:44:50 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

राजस्व विभाग राज0सरकार शासन सचिव श्री प्रीतमसिंह के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक प–2(12)राज–6/92पार्ट दिनांक 07.06.2008 के एंव श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय टोंक के पत्रांक/परिपत्र/08/5565–71 दिनांक 18.12.2008 के आधार पर कब्जेधारी गोकल,रामलाल पुत्र चन्द्रा,मोत्या पुत्री चन्द्रा हि0 3/5 रामीदेवी पत्नि रामकरण हि0 1/5 रामेश्वर पुत्र शान्ति पुत्री व मु0 भूलादेवी पत्नि सूरजमल हि0 1/5 जाति बैरवा निवासी सीतारामपुरा को खातेदारी आदेश क्रमांक 5368–69/भू.अ./2015 दिनांक 15.10.2015 से दिये जाकर पटवारी हल्का गांवडी को पालनार्थ प्रेषित किया है। तत्कालीन तहसीलदार द्वारा नियमो के विपरीत जाकर खातेदारी दिये जाने का आदेश पारित किया गया है। अतः अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया आदेश क्रमांक 5368–69/भू.अ./2015 दिनांक 15.10.2015 को निरस्त कराने हेतु रेफरेन्स प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने दौराने बहस जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि साबिक जमाबंदी सं0 2036 से 2039 के खाता संख्या 61 किता 8 रकबा 25 बीघा 19 बिस्वा चन्द्रा पुत्र सुखा कोम चमार सा. ढाणी सीतारामपुरा की खातेदारी मे दर्ज था,जो नामान्तकरण संख्या 543 दिनांक 27.06.1983 के द्वारा ग्राम सभा ग्रामदानी ग्राम सीतारामपुरा के नाम दर्ज है। हाल जमाबंदी ग्राम सीतारामपुरा सम्वंत 2070 से 2073 के खाता संख्या 105 मे खसरा नम्बर 160/0.19,185/1.90,190/0.41,206/0.48,212/0.58,266/0.83, 280/0.03,281/0.52,282/0.71,283/0.58,284/0.24 व 289/0.27 कुल किता 12 रकबा 6.74 है0 राजस्थान भूदान बोर्ड ग्रामदानी ग्राम सभा सीतारामपुरा की खातेदारी मे दर्ज है। किस आदेश /निर्णय से अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि राजस्थान भूदान बोर्ड ग्रामदानी ग्राम सभा सीतारामपुरा की खातेदारी मे दर्ज हुई स्पष्ट नही है और ना ही तहसीलदार देवली द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तत्कालीन तहसीलदार श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर द्वारा ग्राम सीतारामपुरा के खसरा नम्बर 160/0.19,185/1.90,190/0.41,206/0.48,212/0.58, 266/0.83,280/0.03,281/0.52,282/0.71,283/0.58,284/0.24 व 289/0.27 कुल किता 12 रकबा 6.74 है0 पर राजस्व विभाग राज0सरकार शासन सचिव श्री प्रीतमसिंह के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक प–2(12)राज–6/92पार्ट दिनांक 07.06.2008 के एंव श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय टोंक के पत्रांक/परिपत्र/08/5565–71 दिनांक 18.12.2008 के आधार पर कब्जेधारी गोकल,रामलाल पुत्र चन्द्रा,मोत्या पुत्री चन्द्रा हि0 3/5 रामीदेवी पत्नि रामकरण हि0 1/5 रामेश्वर पुत्र शान्ति पुत्री व मु0 भूलादेवी पत्नि सूरजमल हि0 1/5 जाति बैरवा निवासी सीतारामपुरा को खातेदारी आदेश क्रमांक 5368–69/भू.अ./2015 दिनांक 15.10.2015 से दिये जाकर पटवारी हल्का गांवडी को पालनार्थ प्रेषित किया है। उक्त भूमि अप्रार्थीगण के पूर्वज चन्द्रा पुत्र सुखा की खातेदारी व कब्जेकाश्त की कदीम से चली आ रही थी, जिसे अप्रार्थीगण की खातेदारी से ग्राम दानी ग्राम सीतारामपुरा की खातेदारी मे गलत इन्द्राज किया है, जिसको बाद जांच तहसीलदार देवली ने सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन कर तथा अप्रार्थीगण का कब्जाकाश्त होने से अप्रार्थीगण को खातेदार काश्तकार मानकर राजस्व रिकार्ड मे अप्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज किये जाने का तहसीलदार ने सही आदेश पारित किया है। अतः तहसीलदार देवली द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रकरण पत्र अस्वीकार किया जावे। अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपने कथन की पुष्टि में न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1987 पेज 532 उद्वरित किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.16 16:44:50 IST
Reason: SelfAttested

राजकीय अभिभाषक एंव अभिभाषक अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि हाल जमाबंदी ग्राम सीतारामपुरा सम्वंत 2070 से 2073 के खाता संख्या 105 मे खसरा नम्बर 160/0.19,185/1.90,190/0.41, 206/0.48,212/0.58,266/0.83,280/0.03,281/0.52,282/0.71,283/0.58,284/0.24 व 289/0.27 कुल किता 12 रकबा 6.74 है0 राजस्थान भूदान बोर्ड ग्रामदानी ग्राम सभा सीतारामपुरा की खातेदारी मे दर्ज है। तत्कालीन तहसीलदार श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर द्वारा ग्राम सीतारामपुरा के खसरा नम्बर 160/0.19,185/1.90,190/0.41,206/0.48, 212/0.58,266/0.83,280/0.03,281/0.52,282/0.71,283/0.58,284/0.24 व 289/0.27 कुल किता 12 रकबा 6.74 है0 पर राजस्व विभाग राज0सरकार शासन सचिव श्री प्रीतमसिंह के अर्द्धशासकीय पत्र कमांक प–2(12)राज–6/92पार्ट दिनांक 07.06.2008 के एंव श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय टोंक के पत्रांक/परिपत्र/08/5565–71 दिनांक 18.12.2008 के आधार पर कब्जेधारी गोकल,रामलाल पुत्र चन्द्रा,मोत्या पुत्री चन्द्रा हि0 3/5 रामीदेवी पत्नि रामकरण हि0 1/5 रामेश्वर पुत्र शान्ति पुत्री व मु0 भूलादेवी पत्नि सूरजमल हि0 1/5 जाति बैरवा निवासी सीतारामपुरा को खातेदारी आदेश कमांक 5368–69/भू.अ./2015 दिनांक 15.10.2015 से दिये जाकर पटवारी हल्का गांवडी को पालनार्थ प्रेषित किया है।

अभिभाषक अप्रार्थीगण का तर्क है कि सरकार को नुकसान होने पर ही रेंफरेंस हो सकता है। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर आर डी 1987 पेज 532 अनुसार निजी पक्षकरों के विवाद के मामलों में रेफरेन्स नहीं किया जाना चाहिये, जबकि प्रश्नगत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जारी आदेश को निरस्त कराने के लिए रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर अक्षरशः चस्पा नहीं होता है। राजकीय पेरोकार का कथन है कि अप्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा उक्त भूमि ग्राम को दान मे दे दी गई थी। प्रस्तुत प्रकरण में धारा 24 लागू नही होती है। भूमि दान करने के बाद वापस लेने का अधिकार नही है। गलत आदेश होने पर विलंब से भी रेंफरेंस प्रस्तुत किया जा सकता है। सरकार का हित भी निहित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि दिंनाक 27.06.1983 से ग्राम सभा ग्रामदानी सीतारामपुरा के नाम अंकित चली आ रही है। राजस्थान भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 24 के प्रावधान केवल मात्र सद्भावी भूदान आवंटियो को जिनको विधिवत रूप से आवंटन किया गया हो और जिसका अद्यतन अंकन राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो,पर ही लागू होगे। प्रस्तुत प्रकरण मे भूमि ग्रामदान अधिनियम 1971 के अन्तर्गत आती है। इस कारण इस भूमि पर भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 24 मे दिनांक 13.05.2008 के संशोधित प्रावधान लागू नही हो सकते हैं। इस कारण उक्त आदेश का राजस्व रिकार्ड मे अमल–दरामद नही किया गया है जो स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं।

फलतः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रकरण इस निवेदन के साथ प्रेषित हैं कि विपक्षी के पक्ष में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा जारी आदेश कमांक 5368–69/भू.अ./ 2015 दिनांक 15.10.2015 को अपास्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.16 16:44:50 IST
Reason: SelfAttested

8-4-2022
(मुरारी लाल शर्मा)
अति.जिला कलेक्टर,टोंक
अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक